Research Paper

Volume : 2 | Issue : 4 | Apr 2013 • ISSN No 2277 - 8179

Inequality and Violence Against Women
''महिलाओं के विरूद्ध असमानता एवं हिंसा''

Sociology

KEYWORDS : लिंग भेद, असमानता, हिंसा, कानूनी अधिकार, पारिवारिक हिंसा, बाल-विवाह, कुपोषण, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, लैगिक अपराध, मानवाधिकार ।

Dr. Shyam S. Kumawat

Lecturer in Sociology, Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) 313001

ABSTRACT

समानता को मिटाने के लिए असमानता उत्पन्न की जाती है । लिंग भेद की असमानता प्राकृतिक है न कि सामाजिक । लेकिन समाज के धरातल पर पुरूष प्रधान समाज ने सदियों से महिलाओं को अपने से निम्न स्तर का ही दर्जा दिया है। विकसित राष्ट्रों में भी यह गैर बराबरी देखी जा सकती है। आज भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं का संतुलित जीवन जीना दुष्कर है । भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं असमानता निरंतर बढ़ती ही जा रही है और इसकी उच्च पराकाष्ठा हिंसा में परिवर्तित हो रही है । परिवार, स्कुल, कार्यस्थल आदि विभिन्न स्थानों पर बालिकाओं एवं महिलाओं का शोषण देखा जा सकता है । जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात्, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि विभिन्न अवस्थाओं पर हिंसा देखी जा सकती है। यह लेख गहन अवलोकन, अध्ययन, नवीनतम आंकड़ों, रिपोर्टो, सर्वेक्षण आदि तथ्यगत सामग्री के आधार पर लिखा गया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम समाज के आधे हिस्से को दबाकर कैसा विकास करेगे ? क्या तकनीकी विकास एवं संचार क्रांति के द्वारा ही हम विकसित हो जायेगें? जब तक हम महिला-पुरूष का अन्तर मिटा नहीं देगें तब तक अपने सपनों के भारत का निर्माण नहीं कर पायेगें और न ही सही मायनों में विकसित हो पायेगें ।

विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं की प्रस्थिति बहुत निम्न स्तर पर है। यहाँ महिलाओं के विरूद्ध असमानता एवं हिंसा का ग्राफ निरंतन ऊंचा उठता जा रहा है। यदि हम इसके कारणों एवं कारकों का पता लगाना चाहते है तो निम्न स्थितियां इसके लिए उत्तरदायी मानी जा सकती है ।

(1) भारत में महिलाओं की निम्न (कमजोर) स्थिति: महिलाओं की स्थिति का आंकलन करने के लिए थॉमसन रॉयटर्स फाउण्डेशन की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में भारत को 19 देशों की सूची में अन्तिम स्थान पर रखा गया है। सर्वेक्षण में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हिंसा जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की स्थिति की तुलना की गई । संगठन ने विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति की तुलना का अध्ययन करने वाले 370 विशेषाज्ञों की राय लेने के बाद यह सूची तैयार की है। यह सर्वेक्षण 19 विकसित और उभरते हुए देशों में किया गया है। इनमें भारत, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे देश शामिल है । भारत में महिलाओं की स्थिति को उस सऊदी अरब से भी बुरा बताया गया है, जहाँ महिलाओं को गाड़ी चलाने और वोट डालने जैसे बुनियादी अधिकार व्यवहारिक रूप में हासिल नहीं है। भारत का नाम अन्तिम पायदान पर रहने के लिए बाल-विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारणों को गिनाया गया है ।

(2) सामाजिक भेदभाव: ''एसोर्चेम'' की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं घर और दफ्तर हर जगह भेदभाव का शिकार होती है । उन्हें एक ओर, काम के बेहतर अवसरों का अभाव है, तो दूसरी ओर, पदोन्नति के समान अवसर भी प्राप्त नहीं है ''समान कार्य के लिए समान वेतन', की योजना, सामाजिक ढ़ांचे के चलते सिर्फ कागजों तक ही सिमटकर रह गई है। श्रम मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में स्त्री और पुरूषों को मिलने वाली मजदूरी में 27.6 प्रतिशत का अंतर है। दुर्भाग्य की बात है कि झाड़ू लगाने जैसे अकुशल काम में भी स्त्री और पुरूष श्रमिक में भेदभाव किया जाता है। एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि देश की राजधानी की महिलाएं देश के 53 बड़े शहरों की महिलाओं की तुलना में सबसे ज्यादा असुरक्षित है । यहाँ की 96 प्रतिशत महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती । बैंगलुर में हुए एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 80 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का बेरोजगार महिलाओं की तुलना में घरेलू मोर्चो पर ज्यादा शोषण का शिकार होना पड़ता है ।

(3) स्थानीय निकायों में पुरूषों के अधीन: पंचायत और शहरी निकायों में महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है, तथापि अध्ययन बताते है कि सत्ता का उपयोग वास्तविक रूप में पदासीन महिलाओं के पति या परिवार के पुरूष सदस्य करते है और जब कभी ऐसा नहीं होता, तो उसके घातक परिणाम भी दृष्टिगोचर हुए है ।

(4) पारिवारिक हिंसा: पारिवारिक हिंसा के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, बालिकाओं, युवा कन्याओं, वधुओं, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के साथ किए गए सभी दुर्व्यवहार आते हैं। इसके अतिरिक्त पत्नियों को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार और दहेज सम्बन्धी महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार तथा दहेज से सम्बन्धित मृत्यु को भी पारिवारिक हिंसा के अन्तर्गत रखा गया है।

पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा उसके उद्देश्य के आधार पर निम्न प्रकार की हो सकती है ।

1. जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना एवं यातनाऐं देना ।
2. जिस हिंसा का उद्देश्य कमजोर पर सत्ता कायम करना होता है।
3. जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना होता है।
4. जो हिंसा अपराध कर्त्ता के व्यक्तित्व सम्बन्धी विकृति के कारण की जाती है।
5. जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियाँ होती है ।
6. जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है।

पारिवारिक हिंसा के कारण: निम्न कारण पारिवारिक हिंसा को प्रेरित करते है- पुरूष प्रधानता, स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा, महिलाओं के प्रति विद्व, सामाजिक कुप्रथाऐं, पारिवारिक तनाव, पीड़ित द्वारा भड़काना, नशा, अपराधी के प्रति निष्क्रियता आदि ।

पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय एवं सुझाव:- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर विचार गोष्ठियों, कार्य शालाओं, समाज-सुधारकों आदि ने अनेक सुझाव दिये है जो संक्षिप्त में इस प्रकार है:-

महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन, आत्म विश्वास बढ़ाना एवं शोषण के विरूद्ध महिलाओं को सशक्त बनाना, सुरक्षा एवं आश्रय की समुचित व्यवस्था, महिला स्वयं-सेवी संगठनों का प्रचार-प्रसार करना, रोजगार ढूंढने एवं बच्चों की देखभाल की सुविधाओं की व्यवस्था करना, सस्ती-कम अवधि वाली एवं न्यून औपचारिक न्यायालयों की व्यवस्था, महिलाओं के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता, शिक्षा की पर्याप्त सुविधा आदि ।

(5) बालिकायें एवं हिंसा: युनीसेफ द्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन ''भारत की बालिका-एक झलक' के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाली 1 करोड़ बालिकाओं में से 25 प्रतिशत 15 वर्ष से पहले ही मर जाती है। इनमें से एक-तिहाई की मृत्यु पहले वर्ष में ही हो जाती है। शिशुउत्तर जीवित सम्बद्ध आंकड़ों के अुनसार ऐसी प्रत्येक छठी मौत लिंग-भेद, लिंग- शोषण अर्थात् महिला के विरूद्ध हिंसा के कारण ही होती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरूष पर 940 महिलाएँ हैं। इस विषमता का प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिकाओं का कुपोषण है।

(6) कामकाजी लड़कियां एवं हिंसा: बाल श्रमिक लड़कियां अधिकतर भाई-बहिनों की देखभाल तथा परिवार के लिए अनेक कार्य करती है, घर के जूठे बर्तन साफ करना, खाना पकाना, खेत में काम करना, सामान बेचना, अखबार तथा कूड़ा-करकट एकत्र करना, डिब्बों पर गोंद लगाना, सिलाई करना, फैक्ट्रियों में काम करना आदि। इन्हें अस्वास्थकर पर्यावरण में काम करना पड़ता है। वहाँ उनका घोर शोषण किया जाता है। काम करते-करते बचपन और किशोर अवस्था गुजरने का पता ही नहीं चलता ।

(7) नन्ही-पत्नियाँ- नन्हीं माताएँ और हिंसा: भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख विवाह होते है इनमें से 30 लाख वधुओं की आयु 15-19 वर्ष होती है। राजस्थान के कुछ जिलों में तो 45 प्रतिशत से अधिक कन्याओं के विवाह 10-14 वर्ष की आयु में हो जाते है, जिसका परिणाम शिक्षा का अन्त, गृहस्थी का भार, जल्दी गर्भवती होना, कुपोषण का शिकार होना, कुपोषित बच्चों को जन्म देना, कई बार गर्भवती होना, प्रसव के समय मृत्यु हो जाना आदि हिंसाओं का शिकार होना है।

(8) पत्नी को पीटना: जब पति प्रेम एवं सुरक्षा के स्थान पर पत्नी को पीटता है तो उसका जीवन नरक समान, असुरक्षित छिन्न-भिन्न एवं अन्धकारमय हो जाता है। इस सम्बन्ध में समाज शास्त्रीय अनुसंधानों से निम्न तथ्य उजागर होते है-

(i) 25 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ पीटने की घटनाएँ अधिक होती है।
(ii) कम आय वाले परिवारों में ऐसी घटनाएँ अपेक्षतया अधिक होती है।

(iii) पत्नी को पीटने के कारणों में यौन सम्बन्धों में असमायोजन, भावात्मक गड़बड़ी, पति की अहम् भावना या हीन भावना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या एवं पत्नी द्वारा पति के दुर्व्यवहार के प्रति निष्क्रियता बरतना आदि प्रमुख है।

(iv) शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा जाता है।

(v) उन पत्नियों को जो अपने पति से 5 वर्ष से अधिक छोटी होती है, अपने पति द्वारा पीटे जाने की संभावना अधिक होती है।

(vi) परिवार के आकार और उसकी रचना का पत्नी को पीटने से परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।
(vii) वे लोग जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे, बड़े होने पर पत्नी को पीटने की ओर अधिक रूझान रखते है।

(viii)शराबी पतियों द्वारा पत्नी को पीटने की मात्रा अधिक पाई जाती है जो नशेकी तुलना में होश-हवाशमें अधिक पीटते है।

(9) विधवाओं के विरूद्ध हिंसा: विधवाओं के उत्पीड़न के तीन प्रमुख कारण होते हैं- शक्ति, सम्पत्ति और कामवासना की पूर्ति। इस संदर्भ में समाज शास्त्रीय अध्ययन निम्न तथ्य उजागर करते हैं।

(i) वृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं,

(ii) शिक्षित विधवाओं की तुलना में अशिक्षित विधवाओं,

(iii)उच्च वर्ग की तुलना में मध्यमवर्ग एवं निम्न वर्ग की विधवाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है ।

(iv) सास का सत्तावादी व्यक्तित्व एवं पति के भाई-बहिनों का असामंजस्यपूर्ण व्यवहार विधवा उत्पीड़न के प्रमुख कारण है।

(v) परिवार की रचना और उसके आकार से विधवा उत्पीड़न का कोई सम्बन्ध नही है।

(vi) हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांशत: पति के परिवार के सदस्य होते है।

(vii)'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम', 1856 बना हुआ है, किन्तु विधवाओं द्वारा पुन. र्विवाह बहुत कम ही किये जाते है।

(10) दहेज हत्याएँ: 1961 में भारत में 'दहेज निरोधक अधिनियम' बनाया गया। भारत में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्ष 5000 हत्याऐं दहेज से सम्बन्धित होती है। अधिकांश दहेज सम्बन्धी हत्याएं लड़की की ससुराल में ही होती है, अत: ससुराल वाले हत्या सम्बन्धी प्रमाण मिटा देते है और उसे आत्महत्या या हादसे का रूप दे देते है। साक्ष्य के अभाव में अपराधी अक्सर बच जाते है। अध्ययन यह बताते है कि-

(i) दहेज सम्बन्धी हत्या एवं उत्पीड़न के मामले निम्न एवं उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग में अधिक होते है ।

(ii)दहेज में उत्पीड़ित 70: महिलाऐं 21 से 24 वर्ष के आयु समूह में से होती है ।

(iii)दहेज की समस्या निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पाई जाती है।

(iv)हत्या से पूर्व वधू को कई यातनाऐं दी जाती है एवं अपमानित किया जाता है।

(v) परिवार की रचना नववधु को जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(vi)स्त्री की शिक्षा के स्तर एवं दहेज हत्या में कोई कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं पाया जाता है।

(11) कन्या भ्रूण हत्या: भारतीय समाज की यह आज ज्वलन्त समस्या है। पुत्र की चाह में तथा परिवार में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर लड़की के पैदा होते ही या गर्भ में ही उसे मार दिया जाता है। 2011 के जनगणना सूचकांकों के अनुसार हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है जहाँ प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 877 है। लड़के की चाह में लड़की की हत्या मानवता के माथे पर बड़ा कलंक है । वैज्ञानिक ज्ञान एवं तकनीक का लोग दुरूपयोग कर रहे है। आज जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों को दक्षता से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। नारी हत्या में पुरूष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान भी कम नहीं होता है।

(12) लैंगिक अपराध: यौन अपराधों के मामले में भारत नम्बर एक पर है। भारत में हर चार में से करीब एक पुरूष अपने जीवन में एक न एक बार यौन अपराध करता है और हर 5 में से 1 पुरूष अपनी पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करता है (अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इन्टनरेशनल मेन एण्ड इक्विटी सर्वे)

सामाजिक अध्ययनकर्ताओं के बलात्कार सम्बन्धी अध्ययनों के निष्कर्ष निम्न प्रकार रहे है-

(i) यह धारणा गलत है कि यदि महिला विरोध करें तो उसके साथ बलात्कार नहीं हो सकता ।

(ii)बलात्कार केवल सुन्दर स्त्रियों के साथ ही होता है, यह विचार त्रुटिपूर्ण है।

(iii)यह विचार सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कारी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होते है ।

(iv)यह भी सही नही है कि अधिकांश बलात्कार स्वत: होते है और उनकी अग्रिम योजना नही बनाई जाती ।

(v) यह कहना भी उचित नहीं है कि बलात्कार का सम्बन्ध पुरूष में अत्यधिक काम उत्तेजना की भावना तथा उच्चता एवंशक्ति की भावना से है।

(13) परिस्थितियों की शिकार तथा हिंसा: बड़े शहरों के क्षेत्रों में बसे गरीब परिवारों में पल रही लड़कियों, सड़क पर रहने वाली लड़कियों को विविध खतरों के अतिरिक्त यौन- शोषण का खतरा सबसे अधिक होता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों, भिखारियों, कैदियों, शराबियों आदि की बच्चियों के साथ यौन सम्बन्धी हिंसा की संभावना अधिक रहती है। रात्रि को सुरक्षित स्थान की व्यवस्था नहीं होने के कारण घुमक्कड़ बच्चे वैश्यावृत्ति में फंस जाते है। गरीबी, बेरोजगारी, खाने की कमी के कारण माँ-बाप बिचौलियों के जाल में फंस जाते है तथा धन के लालच में आकर बहू-बेटियों को बेच देते है, उनसे वैश्यावृत्ति करवाने को मजबूर हो जाते है । भारत में 25 प्रतिशत बलात्कार नाबालिग लड़कियों के साथ होते है। कुल बलात्कारों में 20 प्रतिशत बलात्कार 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ होते है। कामकाजी नौकरानी लड़कियों का अकेलेपन के कारण यौन-शोषण होता है। जिन महिलाओं के साथ अपराध एवं हिंसा की जाती है, वे है:

(i) जो गरीब, असहाय एवं अवसादग्रस्त होती है जो स्वयं अपनी नजरों में गिर चुकी होती है तथा उनके प्रति किए गए अपराध एवं हिंसा के कारण भावात्मक रूप से से विघटित हो चुकी होती है।

(ii)जो विघटित परिवारों में रहती है, जिनपर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता है जिससे उनमें अनेक प्रकार की कुंठाएं पायी जाती है।

(iii)जिनमें मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है।

(vi)जिनके परिवार, पति या ससुराल पक्ष के लोग विकृत मानसिकता के होते है।

(v) जिनके पति शराबी एवं नशेबाज होते है ।

(14) महिलाओं को प्राप्त नवीन कानूनी अधिकार:

भारत के संविधान एवं कानून ने महिलाओं की अस्मिता एवं अधिकारों की रक्षा करने का निरन्तर प्रयास किया है । संविधान में विशेष उपबन्ध करने के बावजूद समय-समय पर नये कानून बनाये है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है ।

'दिसम्बर, 1983: दहेज के मामलों के खिलाफ 498-ए अधिनियम पारित । इसने दहेज के लिए महिलाओं को सताने वाले लोगों के खिलाफ सशक्त हथियार का काम किया।

'अगस्त, 1997: विशाखा बनाम राजस्थान स्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि दफ्तर में होने वाला यौन-उत्पीड़न मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जायेगा ।

'सितम्बर, 2005: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि हिन्दू सक्सेशन (अमेंडमेंट एक्ट) के तहत बेटियों को जायदाद में बराबर हिस्सेदारी दी जाए ।

'अगस्त, 2005: संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल पारित किया।

'सितम्बर, 2008: महिलाओं के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश । पहले यह अवधि 120 दिन की थी ।

'मार्च, 2010: दिल्ली हाईकोर्ट ने वायुसेना को निर्देशदिया कि वह महिलाओं को स्थायी कमीशन दें ।

'मार्च, 2010: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि दो लोग बिना शादी के साथ रहना चाहते है (लिव इन रिलेशनशीप) तो यह कानूनी रूप से वैद्य है।

'मई, 2012: यूपीए सरकार ने तलाक बिल पर मुहर लगाई । कानून बना तो पत्नी को भी पति की सम्पत्ति में आधा हिस्सा मिलेगा ।

'फरवरी, 2013: जेंडर बजट के लिए 971 अरब रूपए का प्रावधान । महिला सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ का निर्भय फंड और एक महिला बैंक बनाने की पेशकाश ।

इन सब कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के बावजूद महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं हिंसा में बहुत ज्यादा कमी नहीं आ पाई है ।

महिलायें आज भी सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों की वजह से घरेलू हिंसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए सामने आने से हिचकती है। औरतों को मर्दों के बराबर हक नहीं मिलता । उन्हें दया का पात्र समझा जाता है । कोई माने या न मानें, पिता अपनी बेटी को और पति अपनी पत्नी को बराबरी का हक देने का जोखिम उठाने से अब भी घबराता है। इसलिए औरतों को अपने वाजिब हक के लिए लड़ना जारी रखना होगा । लड़ाई लंबी है, लेकिन कदम-कदम पर मिलने वाली कामयाबी निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की नींव रखेगी ।

निष्कर्ष:- बेटी बनकर पैदा होते ही कई लोगों की नजरों में खटकना, कई बार मौत के घाट उतारे जाना, बहन के रूप में बेटा-बेटी के फर्क से कई बार दो-चार होना, बड़े होने पर कोई दुर्व्यवहार ना हो इसका डर सताना,शादी होने पर ससुराल

Volume : 2 | Issue : 4 | Apr 2013 • ISSN No 2277 - 8179

वालों की प्रताड़ना या दहेज के लिए सताना, फिर पति के ताने, माँ के रूप में कदम-कदम पर खुशियों का त्याग, बलिदान और जब यही माँ फिर से बेटी को जन्म देती है, तो यही सब जो उसने सहा फिर से उस अबोध की कहानी बन जाती है ।

भारतीय महिलाओं में साक्षरता की कमी है, शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की इच्छा शक्ति की कमी है, वे स्वयं की समस्याओं को समझने में असमर्थ होती हैं । सामंती समाज द्वारा येन-केन प्रकारेण महिला अधिकारों का हनन, परम्पराओं के नाम पर शोषण देश को एक ऐसे कटघरे में ला खडा करता है, जहाँ उसके पास ''मानवता के हनन'' का कोई उत्तर नहीं होता ।

समाज के एक बड़े भाग पीड़ित महिलाओं कोशोषण, हिंसा, अत्याचार आदि से सुरक्षा प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। दूसरी ओर महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए, वे अपने दमन एवंशोषण के प्रति जागरूक हो, उनका विरोध करें, न्यायालय, कानून एवं अपने परिजनों से मदद मांगे। उनके द्वारा अत्याचार सहने का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है और वे भी कायर हो जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता । महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को परिवार, समुदाय, क्षेत्र, प्रान्त, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उपयुक्त प्रयास करके रोकना चाहिए । केवल भाषण देने, अधिनियम बनाने, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उम्मीद का दामन नही छोड़ा जा सकता । आधी दुनिया के लिए बेहतर समय अब ज्यादा दूर नही है।

REFERENCE

1- Gelles, Richard, J., " The violent Home: A study of physical aggression between Husbands and Wives" sage publications, Beverly Hills, California, 1974. | 2. Steinmetz, S.K. and Straus, M.A., (ed.) "Violence in the family," Harper and Row, New York, 1974. | 3. Borland, Marie (ed.) "Violence in The Family", Manchester University Press, Manchester, 1976. | 4. Wolfgang, M.E., "Violence in the Family," in Kutash et al, perspectives in Murder and Aggression, John Wiley, New York, 1978. | 5. Leonard, E.B., "Women, Crime and Society", Longman, New York 1982. | 6. Ahuja, Ram, " Crime against Women", Rawat Publications, Jaipur, 1987. | 7. आहुजा, राम, '' सामाजिक समस्याये,'' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर- नई दिल्ली, 1994- | 8. Agnes, Flavia, "Violence against women: Review of recent enactements," in Swapna mukhopadhyay (ed.) "In the name of Justice: women and law in society (81-116). New Delhi, Manohar, 1998. | 9. Kumar, Pushpesh and G.S. Yelne, "Women Resisting Violence: The Economic as plitical," in sociological Bulletin; Journal of the Indian Sociologial Society, Vol. 52, No. 1, March 2003. |